न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या पुराने –123/2013
तारीख दायरा – 21/10/2013
वाद संख्या नये – 62/2017
तारीख दायरा –02/08/2017

वादी :–

1. जालाराम पुत्र लालाजी, जाति–राईका, निवासी–दुदापुरा, तहसील–देसूरी, जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राईगराम पुत्र समीया गोद पुत्र मगीया
2. मनरूप पुत्र समीया
3. भीमा पुत्र निम्बा
4. सांवताराम पुत्र निम्बा
5. स्व. सांवता पुत्र निम्बा के वारिसान
   5/1 – हरीराम पुत्र स्व. सांवताराम
   5/2 – नेनु पुत्री स्व. सांवताराम
   5/3 – भाणकी पुत्री स्व. सांवताराम
   5/4 – ममता पुत्री स्व. सांवताराम
   5/5 – कमला पुत्री स्व. सांवताराम
6. हफता पुत्र निम्बा
   जातिगण–राईका, निवासीगण–दुदापुरा, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)
7. तहसीलदारजी देसूरी (भूमिधारी) राजस्थान सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1.– श्री सुधीर श्रीमाली, अधिवक्ता वादी की ओर से।
2.– अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 6 की ओर से अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक– 28/05/2019

1.– वाद में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30/07/2015 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी पाली से प्राप्त अपील संख्या 17/2016 निर्णय दिनांक 18/04/2017 के प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने के दिशा निर्देश दिये गये। पालना में पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई पर लिया गया। वादी ने वाद विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के कृषि भूमि विभाजन एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम–दुदापुरा, तहसील–देसूरी के नये खसरा नम्बर 172 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रका 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.11 हैक्टर कुल रकबा 0.65 हैक्टर कृषि भूमि कुल लगान 4.55 रुपयां में पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाय 06 की संयुक्त सहखातेदारी भूमि

क्रमशः पेज नं. 2 पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 06 का 1/3 हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड से बंटवाडा नही हुआ है। वादी अपने 1/3 हिस्से का पृथक कब्जा काश्त कानूनी बंटवाडा के जरिये पृथक करवाना चाहता है। वादी ने अपने 1/3 हिस्सें के पृथक कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा दखल, हस्तक्षेप करने से निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत कर 41 वर्षों पूर्व में मौके पर किये गये बंट अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 काबिज काश्त हैं, जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा हेतु प्रतिवादीगण की सहमति हैं। तनकियात कायम की गई। वादी की साक्ष्य ली गई।

राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट दुदापुरा में दिनांक 14/05/2018 को पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5/1, 6 एवं 7 को सुना जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा दुदपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 172, 173, 174, 182 कुल रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 4.55 रुपयां में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाय 06 के मध्य हिस्सों के अनुरूप यानि वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 6 का 1/3 हिस्सा का विभाजन किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित के आदेश दिनांक 14/05/2018 को दिये गये। तहसीलदारजी देसूरी को वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पक्षकारान के मध्य विभाजन कर रास्तों की सुविधा रखते हुऐ अलग–अलग खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, किस्म, लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर इजराय पत्रावली कायम बाबत आदेश में लिखा गया एवं प्रकरण फैसल किया गया।

प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदारजी देसूरी के पत्रांक राजस्व/19/359 दिनांक 03/05/2019 के पक्षकारान के मध्य मुताबिक आदेश पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कर प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर बाद पक्षकारान के हस्ताक्षर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर अधिवक्ता वादी को सुना गया। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदारजी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुरूप अंतिम डिक्री आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदारजी देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती हैं :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	जालाराम पुत्र लालाजी कौम राईका सा. देह खातेदार	182	0.11 है.	बा.अ.	0.77
		173	0.04 है.	बा.अ.	0.28
		174	0.05 है.	बा.अ.	0.35
	योग–	03	0.20 है.		1.40
2.	राईगराम पुत्र समा गोद पुत्र मगा ½ मनरूप पुत्र समा ½ कौम राईका सा. देह खातेदार	172	0.14 है.	बा.अ.	0.98
		173	0.06 है.	बा.अ.	0.42
	योग–	02	0.20 है.		1.40

खण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

क्रमशः पेज नं. 3 पर...

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
3.	रावताराम पुत्र निम्बा ¼, हफता पुत्र निम्बा ¼, भीमा पुत्र निम्बा ¼, हरीराम पुत्र सांवताराम 1/20, नेनु पुत्री सांवताराम 1/20, भाणकी पुत्री सांवताराम 1/20, ममता पुत्री सांवताराम 1/20, कमला पुत्री सांवताराम 1/20 कौम राईका सा. देह खातेदार	174	0.18 है.	बा.अ.	1.26
		173	0.02 है.	बा.अ.	0.14
	योग—	02	0.20 है.		1.40
4.	जालाराम पुत्र लालाजी 1/3 राईगराम पुत्र समा गोद पुत्र मगा 1/6, मनरूप पुत्र समा 1/6, रावताराम पुत्र निम्बा 1/12, भीमा पुत्र निम्बा 1/12, हफता पुत्र निम्बा 1/12, हरीराम पुत्र सांवताराम 1/60, नेनु पुत्री सांवताराम 1/60, भाणकी पुत्री सांवताराम 1/60, ममता पुत्री सांवताराम 1/60, कमला पुत्री सांवताराम 1/60 कौम राईका सा.देह खातेदार	173	0.02 है.	बा.अ. (रास्ता)	0.14
		174	0.03 है.	बा.अ. (रास्ता)	0.21
	योग—	02	0.05 है.		0.35

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया जावें। तहसीलदारजी देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 4.55 रुपये का पांच गुणा पर देय मुद्रांक के बतौर रुपये 5 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदारजी देसूरी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर के साथ निर्णय अंतिम डिक्री की प्रति पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

निर्णय आज दिनांक 28/05/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजराय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली) व इजलास श्री रवि विजय आर ए एस

वादी

जालाराम पुत्र लालाजी जाति–राईका
निवासी–दुदापुरा, तहसील–देसूरी
जिला –पाली

ब ना म

प्रतिवादीगण

1.राईगराम पुत्री समीया गोद पुत्र मागीया
2. मनरूप पुत्र समीया
3. भीमा पुत्र निम्बा
4. सांवताराम पुत्र निम्बा के वारिसान
5/1– हरीराम पुत्र स्व सांवताराम
5/2– नेनु पुत्री स्व. सांवताराम
5/3– भाणकी पुत्री स्व सांवताराम
5/4– ममता पुत्री स्व. सांवताराम
5/5– कमला पुत्री स्व. सांवताराम
6. हफता पुत्र निम्बा
जातिगण–राईका, निवासीगण–दुदापुरा
तहसील–देसूरी, पाली(राज.)
7. तहसीलदारजी देसूरी (भूमिधारी)राज.स.

दावा बाबत 53, **88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **पुराने– 123/2013**
नये– 62/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी श्री सुधीर श्रीमाली मिजानिब मुदइ वकील प्रतिवादीगण संख्या 1से 6 अनुपस्थित। मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा ग्राम दुदापुरा तहसील देसूरी के ख.न. 172,173,174,182 कुल रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बा. अव्वल कुल लगान 4.55 खसरा मे वादी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 6 का 1/3 हिस्सा का विभाजन किये जाने की प्राथामिक डिकी पारित के आदेश दिनांक 14/5/2018 को दिये गये। तहसीलदार देसूरी द्वारा निर्देशानुसार माफिक निर्णय पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स बाउण्डस विभाजन कर रास्तो की सुविधा रखते हुए। विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया। माफिक प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार देसूरी मय नजरी नक्शा के अधिवक्ता को सुना जाकर निम्नानुसार अंतिम डिकी पारित की जाती है:–

1. जालाराम पुत्र लालाजी कोम राईका सा.देह खातेदार के बंट मे खसरा नम्बर 182, 173, 174 कुल रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बा.अ. लगान 1.40 रखा गया।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट मे ख. न. 172, 173 रकबा कुल 0.20 हैक्टर किस्म बा.अ. लगान 1.40 रखा गया।
3. प्रतिवादी संख्या 3,4,5/1 से 5/5 व 6 के बंट के खसरा नम्बर 174,173 कुल रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बा.अ. लगान 1.40 रखा गया।
4. वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1से 6 के खसरा नम्बर 173, 174 रकबा कुल 0.05 हैक्टर किस्म बा.अ. (रास्ता) सयुक्त रखा गया। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड मे

ड अधिकारी
री (पाली)

अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिकी का भाग माना जावे। कुल लगान रूपये 4.55 का पांच गुणा पर देय मुद्राक के प्रभावित नौन जुडिशियल स्टाम्प वादी पेश करे। तहसीलदार देसूरी की अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28** माह **मई** सन् **2019** को जारी किया गया।

मोहर

(रवि विजय)
~~उपखण्ड अधिकारी~~
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		